न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **128/21 (वाद)**

GCMS No. : 2021/246

उनवान

1. श्री देवीलाल पिता उंकारलाल ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तहसील मावली।
2. श्री मगनीराम पिता उंकारलाल ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तहसील मावली।
3. श्री मोहनलाल पिता उंकारलाल ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तहसील मावली।

............वादीगण

बनाम

1. श्री लक्ष्मीलाल पिता जगन्नाथ ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तहसील मावली।
2. श्रीमती रोडीबाई पत्नी जगन्नाथ ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तहसील मावली।
3. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी विष्णुप्रसाद ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का चन्देसरा तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित—1. श्री ललित वसीटा, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 11.09.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा तहसील मावली की आराजी नम्बर 3050 रकबा 1.6190 हेक्टेयर स्थित हैं। उक्त भूमि में से 0.8095 हेक्टेयर अर्थात् 5 बीघा भूमि पर वादी/प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही कृषि कर अपना जीवन यापन कर रहे है तथा वादीगण अपने मवेशियों सहित निवास करते आ रहे है। वादीगण के पूर्वजों ने मेहनत कर उक्त भूमि को उपजाऊ बनाया तथा परिवार का पालन पोषण किया एवं पक्के मकान बनवायें। वादीगण उक्त वर्णित भूमि पर 80 वर्ष से अपने पूर्वजों के समय से ही निवास कर कृषि कर रहे है किन्तु वादीगण के अनपढ़ होने से उन्हे राजस्व विभाग एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होने से उन्होने अपनी उक्त भूमि को स्वयं के पक्ष में नियमन की कार्यवाही आज दिन तक नहीं करवाई हैं। उक्त आराजी का रकबा पूर्व में बहुत बडा था जिसमें से वर्ष 1981 में कई लोगों को जमीनें [illegible] हुई। वादीगण का कब्जा एवं उपयोगसुदा जमीन आज भी रिकॉर्ड [illegible] में बिलानाम भूमि है जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:52 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण अपने उपयोग शुदा उक्त आराजी संख्या 3050 रकबा 1.6190 हेक्टेयर भूमि में से 0.8095 हेक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवाये जाने के अधिकारी हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पति श्री जगन्नाथ पिता लालाजी ब्राहम्ण को दिनांक 03.07.1981 को आराजी संख्या 3050/1 वर्तमान आराजी संख्या 3683/3050 रकबा 5 बीघा वर्तमान रकबा 0.8094 हेक्टेयर आंवटित हुई। उक्त आंवअन की पत्रावली में आंवटित भूमि का स्पष्ट रूप से नक्शा अंकित हैं जिस अनुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नक्शें में अंकन नहीं हैं। वादी के कब्जेशुदा बिलानाम भूमि एवं प्रतिवादीगण की आंवटित खातेदारी भूमि के मध्य आंवटन अनुसार नक्शें में अंकन नहीं होने से वादीगण को अपनी भूमि का सीमांकन एवं खातेदारी दर्ज करवाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड रहा है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि का आंवटन अनुसार राजस्व रेकार्ड में नक्शा में अंकन किया जावे तथा वादीगण की कब्जे उपयोग की भूमि नक्शें में पृथक से अंकन किया जावें।

3. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादीगण की कब्जासुदा भूमि व प्रतिवादीगण की भूमि के मध्य सीमा का नक्शें में अंकन नहीं होने से वादीगण को उक्त भूमि एलोटमेन्ट एवं राजकीय कार्यवाही तथा बैंक लोन लेने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा वादीगण अपनी उक्त भूमि का सही आवादान नहीं कर पा रहे है जिस हेतु वाद में वर्णित अनुसार शुद्धिकरण किया जाना नितान्त आवश्यक हैं। उक्त कृषि भूमि आराजी संख्या 3050 में वादीगण ने अपने पूर्वजों के समय से ही विद्युत कनेक्शन ले रखे है तथा निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है। वादीगण का प्रथम दृष्ट्या केस है तथा सुविधा संतुलन भी वादीगण के पक्ष में हैं। वादीगण के नाम खातेदारी अधिकार से वाद वर्णित भूमि दर्ज नहीं की गई तो वादीगण को जो अपूरणीय क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपये पैसों में किया जाना संभव नहीं हैं।

4. यह कि वाद पत्र पेश करने का कारण दिनांक 01.07.2021 को तब उत्पन्न हुआ जब वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि व वादी की कब्जेशुदा भूमि का मौका पर सीमांकन नक्शें में दर्ज करने एवं वादी की कब्जेशुदा भूमि वादी के नाम दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:52 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 5 से निवेदन किया तो उन्होने इसके लिये राजस्व न्यायालय से आदेश लेकर आने के लिए कह कर मना कर दिया तब से आज दिनांक तक निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि ग्राम चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा तहसील मावली की आराजी संख्या 3050 रकबा 1.6190 हेक्टेयर में से 0.8095 हेक्टेयर कृषि भूमि का नियमन करते हुए वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। विपक्षीगण को आंवटित भूमि ग्राम चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा तहसील मावली की आराजी संख्या 3683/3050 रकबा 5 बीघा वर्तमान रकबा 0.8094 हेक्टेयर व वादीगण की कब्जेशुदा आराजी संख्या 3050 के मध्य आवंटन अनुसार राजस्व नक्शें में अंकन किया जाकर शुद्धिकरण किया जावें। वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 4, 5 की ओर से राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। जवाब पेश नहीं होने से प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं रहती हैं। प्रकरण में साक्ष्य वादीगण प्रारम्भ की गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा साक्ष्य वादीगण शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 स्वयं वादी संख्या 1 श्री देवीलाल पिता उंकारलाल ब्राहम्ण, पीडब्ल्यू 2 श्री मगनीराम पिता उंकारलाल ब्राहम्ण, पीडब्ल्यू 3 श्री मोहनलाल पिता उंकार ब्राहम्ण, पीडब्ल्यू 4 श्री गोपीलाल पिता शंकरलाल ब्राहम्ण, पीडब्ल्यू 5 श्री जगजीवन पिता केशुलाल के पेश किये। प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू 1 श्री देवीलाल पिता उंकारलाल ब्राहम्ण द्वारा दस्तावेज मौजा चन्देसरा की जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 703 प्रदर्श 1, खाता संख्या 2 प्रदर्श 2, उप जिला कलक्टर वल्लभनगर की पत्रावली संख्या 155/81 आवंटन की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 3, आंशिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श 4, आंवटन आदेश उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर दिनांक 03.05.82 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श 5, विद्युत बिल प्रदर्श 6 से 9 करवाये गये।

6. प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण व राजपेरोकार की बहस दावा सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा निवेदन किया कि उक्त वाद राजस्व ग्राम चन्देसरा तहसील मावली की आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:52 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 3050 रकबा 1.6190 हेक्टेयर किस्म बिलानाम भूमि में वादीगण अपने पूर्वजों के समय से निवास कर खेती कर मवेशियों सहित अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वादीगण के पूर्वजों ने मेहनत मजदूरी कर उक्त भूमि को उपजाऊ बनाया तथा परिवार का पालन पोषण कर पक्के मकान बनवाए। वादीगण अपने पूर्वजों के समय से लगभग 80 वर्षों से उक्त भूमि में निवास कर कृषि कर रहे है किन्तु अनपढ होने से नियमन की कार्यवाही नहीं की। उक्त आराजी का रकबा पूर्व में बहुत बडा था जिसमें से वर्ष 1981 में कई लोगों को जमीनें आवंटित हुई। वादीगण के कब्जे उपयोग की भूमि आज भी बिलानाम भूमि हैं। वादीगण को उक्त आराजी संख्या 3050 रकबा 1.6190 हेक्टेयर भूमि में से 0.8095 हेक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने के अधिकारी हैं।

7. यह कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पति श्री जगन्नाथ पिता लालाजी ब्राहम्ण को दिनांक 03.07.1981 को आराजी संख्या 3050/1 वर्तमान आराजी संख्या 3683/3050 रकबा 5 बीघा अर्थात् वर्तमान रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि आंवटित हुई उक्त आंवटित भूमि की आवंटन पत्रावली में स्पष्ट रूप से आंवटित भूमि का नक्शा ट्रेस अंकित हैं जिस अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शें में अंकित नहीं हैं। वादी के कब्जेशुदा भूमि एवं प्रतिवादीगण की आंवटित भूमि के मध्य आंवटन अनुसार नक्शें में अंकन नहीं होने से वादीगण को अपनी भूमि का सीमांकन एवं खातेदारी दर्ज करवाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड रहा है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि का आंवटन अनुसार राजस्व रेकार्ड नक्शा में अंकन किया जावे तथा वादीगण की कब्जे उपयोग की भूमि नक्शें में पृथक से अंकन किया जावें। उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी संख्या 3050 में वादीगण ने अपने पूर्वजों के समय से ही विद्युत कनेक्शन ले रखे है तथा कृषि कार्य कर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग कर रहे हैं।

8. यह कि वाद पत्र के साथ वादी पी.डब्ल्यू 1 देवीलाल पिता उंकारलाल ब्राहम्ण ने वाद पत्र की ताईदी स्वरूप मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें विद्युत कनेक्शन की प्रति प्रदर्श 1, प्रतिवादीगण को आंवटित भूमि की जमाबन्दी प्रदर्श 2, वादीगण की [illegible] खाता संख्या की प्रति प्रदर्श 3, प्रतिवादीगण को एलोट[illegible] प्रदर्श 5 हैं। अन्य वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:52 IST
Reason: SelfAttested

पीडब्ल्यू 2 मोहनलाल व पीडब्ल्यू 3 मगनीराम की साक्ष्य हुई साथ ही अन्य स्वतन्त्र साक्षीगण पीडब्ल्यू 4 गोपीलाल खेतावत पिता श्री शंकरलाल खेतावत, उम्र 64 वर्ष, पीडब्ल्यू 5 जगजीवन नागदा पिता केशुलाल नागदा उम्र 60 वर्ष ने साक्ष्य शपथ पत्र आप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये। वादीगण ने अपनी जिरह में भी स्वीकार किया है कि हमारे पडौस में सब को जमीनें आंवटित हो चुकी हैं। मेरा इतने वर्षों से कब्जा होने पर भी मुझे आंवटन क्यों नहीं हुई इसका मुझे पता नहीं। स्वीकार किया कि कुछ जमीनें आवंटित नहीं की जा सकती किन्तु श्रीमान से निवेदन है कि वाद वर्णित भूमि आवंटन योग्य भूमि है जिसे न्यायहित में वादीगण को आंवटित किया जाना चाहिए। जिरह में सभी साक्षियों ने वाद पत्र का समर्थन किया हैं। अन्त में निवेदन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र में चाहे गए अनुतोष अनुसार डिक्री फरमाई जावें। राजपैरोकार द्वारा निवेदन किया गया की वादग्रस्त भूमि बिलानाम होने से खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है।

9. हमने अधिवक्ता वादीगण एवं राजपैरोकार की बहस पर बगौर मनन किया। लिखित बहस का अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा तहसील मावली हाल घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 1 पर दर्ज वादग्रस्त आराजी नम्बर 3050 किता 1 कुल रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि बिलानाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण ने अपने वाद की कलम संख्या 3 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का विगत 80 वर्ष से अपने पुर्वजो के समय से ही निवास कर कृषि कार्य कर रहे है। इससे जाहिर है कि वादी एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जे) के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाना चाहता है। जबकि **कानून की स्थिति स्पष्ट है कि प्रतिकूल/पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं, केवल धारा 63(1)(4) के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के ही प्रावधान हैं। RRT 2011 पेज 721 के वृहत पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.डी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Suvi
Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:52 IST
Reason: SelfAttested

का प्रावधान हीं नहीं होना वर्णित किया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर.डी. 14.06.2014 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान नहीं माना है। स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश हैं।

वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज आराजी नम्बर 3683/3050 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि का नक्शा गलत तरमीम होना बताया है। जिसके संबंध में वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त नक्शे की शुद्धि की जावे। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत नक्शा शुद्धि नही की जा सकती है। ना ही आराजी नम्बर 3683/3050 वादीगण के नाम दर्ज है। ऐसे में किसी अन्य खातेदार की भूमि की तरमीम का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार क्षेत्र वादीगण को नही है।

उपरोक्त विवेचन, दस्तावेजात एवं नजीरों के आधार पर वादीगण का वाद घोषणा का न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान

1. श्री देवीलाल पिता उंकारलाल ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तहसील मावली।
2. श्री मगनीराम पिता उंकारलाल ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तहसील मावली।
3. श्री मोहनलाल पिता उंकारलाल ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तहसील मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री लक्ष्मीलाल पिता जगन्नाथ ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तहसील मावली।
2. श्रीमती रोडीबाई पत्नी जगन्नाथ ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तहसील मावली।
3. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी विष्णुप्रसाद ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का चन्देसरा तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 128/21 (वाद) GCMS No. – 2021/246

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 11.09.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:52 IST
Reason: SelfAttested